

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

..... वनाम रजिन्द्र प्रसाद कुलडिया आदि
हुनुमान कुलडिया

दावा बाबत :- 88 RT Act


मुकदमा नम्बर :- 274/2021

निर्णय दिनांक :- 05-10-2021

वादी की ओर से वकील किशनलाल यादव की व प्रतिवादी सं0.1.सी.5 की ओर से वकील सुरेश मील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रजिन्द्र प्रसाद के खाता सं नं0 63 के मुं नं0 29 के किला नं0 12 ता 19, 21 ता 25 कुल 3.289 हे० मुं नं0 32 के किला नं0 1 ता 3 की 0.75 हे०, मुं नं0 93 के किला नं0 1, 10 की 0.586 हे० कुल 4.5540 हे० कारागी लुमि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं1 राजेन्द्र प्रसाद व प्रतिवादी सं2 सावित्री देवी के नाम से दर्ज है। सं1 प्रतिवादी सं1 राजेन्द्र प्रसाद व प्रतिवादी सं2 सावित्री देवी का नाम कुलमजदगी किर्चा पत्रकर वादी हुनुमान प्रसाद कुलडिया का खातेदार का उल्लेख बोधित किर्चा जाता है मुं कि प्रतिवादी सं1 ता 5 ने अपने सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष में लगाया कर बुन्ध कर लिया है इसलिए दयाजा किर्चा गैर हिस्से पर पूजापन किर्चा का प्रथम पूजापन मुस्क एवं लुमि उपुरी अया करे व यदि लुमि भूमि के हक हो तो रदन मुक होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल कराभूये किर्चा जावे। राजेन्द्र प्रसाद के डिक्री का माता पति जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला बलरामपुर, मध्य प्रदेश
कैम्प राजगढ़िया